


## आदेश

श्री शरजील ईमाम पिता- स्व0अकबर ईमाम ग्राम+पो0+थाना- काको जिला-जहानाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता की मृत्यु दि0-06/11/2014 को हो गई है। पिता के नाम पर निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-1695/79- थाना सिविल लाईन, गया (एफ0आर0एन0 31/89-जहानाबाद) जिस पर एन0पी0बोर रायफल न0-66484 (30.06 बोर) धारण कर रहे थे जिसे एस0एच0 मल्लिक एण्ड कम्पनी, आर्म्स एण्ड एमनीशन डीलर, छपरा के यहाँ जमा कर दिया गया है, से सम्बन्धित मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा रसीद की छाया प्रति समर्पित करते हुए अनुरोध किया गया है कि उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाय।


अतः श्री शरजील ईमाम द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अकबर ईमाम पिता- स्व0 हसन ईमाम मुहल्ला बनिया पोखर थाना- सिविल लाईन्स गया के नाम निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0- 1695/79 थाना- सिविल लाईन, गया (एफ0आर0एन0न031/89- जहानाबाद) को शस्त्र अधिनियम की धारा-17 (3) के तहत रद्द किया जाता है।

जिला दंडा के आदेश दि0-14/11/2014 संचिका सं0-11-1/2014)

  
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
जहानाबाद।

ज्ञापांक-.....84/शस्त्र, जहानाबाद दि0-7/2/15

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दंडा0 बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, सिविल लाईन्स, गया/ थानाध्यक्ष काको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- मेसर्स एस0एच0मल्लिक एण्ड कम्पनी, आर्म्स एण्ड एमनीशन डीलर, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- श्री शरजील ईमाम पिता- स्व0अकबर ईमाम ग्राम+पो0+थाना- काको जिला-जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- सूचना तकनीकी प्रबंधक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
जहानाबाद।